पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु

बनाम

मुथुस्वामी और एक अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 655/2002)

10 सितंबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण]

आपराधिक अन्वीक्षा – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि – उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया - इस आधार पर कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति विश्वसनीय नहीं थी; कि गवाह जांच के दौरान दिये गये बयानो से मुकर गये और कि पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख में हेरफेर किया गया था – अभिनिर्धारित किया गया : इन विसंगतियो को देखते हुये, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है – दंड संहिता, 1860 – धारा 302 सपठित धारा 34

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक का गला घोंटा गया था और उसे जहर भी दिया गया था। अभियुक्त-प्रतिवादी क्रमश: मृतक के पिता और भाई है। चूंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया था कि मृतक के विसरा में कोई जहर नहीं था, अभियोजन पक्ष ने बाद में अपना रूख छोड दिया कि मृतक को जहर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने

कथित तौर पर आरोपी-प्रतिवादियो द्वारा किये गये अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया और तदनुसार उन्हे भा.दं.सं.की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने बरी करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया और पाया कि वे विश्वसनीय नहीं है। गवाहो ने तथाकथित न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में अलग अलग वृतांत दिये। इसके अलावा, जिन लोगो ने घटना को देखने का दावा किया था, वे जांच के दौरान दिये गये बयानो से पलट गये और व्यवहारिक रूप से अभियुक्तगण को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं थे। अन्य कारको को जोडने के लिये, एक और महत्वपूर्ण कारक जिस पर उच्च न्यायालय ने गौर किया है वह यह है कि यह दिखाने के लिये हेरफेर किया गया था जैसे कि मजिस्ट्रेट को 3/1/1990 को पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। वास्तव में कीरानूर न्यायालय के प्रदर्श पी.1 और प्रदर्श पी.9 पर मिली मुहर की तारीख से पता चलता है कि वह तारीख 5/1/1990 थी। इन विसंगतियो को देखते हुये, उच्च न्यायालय के फैसले मे ऐसी कोई खामी नहीं है जिसके लिये किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। [पैरा 3] [311 - सी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 655/2002

(आपराधिक अपील संख्या 738/1992 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.3.2001 से)

षण्मुगसुंदरम, एस. थानंजयन और वी. जी. प्रगसम, अपीलार्थियों के लिए।

वी. रामसुब्रमण्यम, प्रतिवादीगण के लिए

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। सुना गया।

1. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज किये गये बरी करने के फैसले को दी गई है। आरोपी क्रमश- मृतक के पिता और भाई है। यह घटना कथित तौर पर 3/1/1990 को हुई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने कई लोगो के साक्ष्यो पर भरोसा किया, जो कथित तौर पर घटना के गवाह थे, अदालत में गवाही देते समय, उनमें से अधिकांश जांच के दौरान दिये गये बयानो से मुकर गये। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वृतांत यह था कि मृतक का गला घोंटा गया था और उसे जहर भी दिया गया था। लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मे कहा गया कि विसरा में कोई जहर नहीं था, इसलिये अभियोजन पक्ष ने अपना यह रूख छोड दिया कि मृतक को आरोपी व्यक्तियो द्वारा जहर दिया

गया था। कथित तौर पर कुछ न्यायेतर स्वीकारोक्तियां थी जिन पर विचारण न्यायालय ने भरोसा व्यक्त किया। तदनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 302 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपील में उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा बरी करने का निर्देश दिया है।

2. अपीलार्थी – राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बरी करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण को कायम नहीं रखाा जा सकता क्योंकि उच्च न्यायालय ने कई प्रासंगिक कारको पर ध्यान नहीं दिया।

3. हमने पाया है कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया है और पाया है कि वे विश्वसनीय नहीं है। गवाहो ने तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के तरीके के बारे में अलग अलग बयान दिये। इसके अलावा जिन लोगो ने घटना को देखने का दावा किया था, वे जांच के दौरान दिये गये बयानो से मुकर गये और व्यवहारिक रूप से आरोपी व्यक्तियो को फंसाने के लिय कोई सबूत नहींथा। अन्य कारको को जोडने के लिये, एक और महत्वपूर्ण जो उच्च न्यायालय ने देखा है वह यह है कि यह दिखाने के लिये हेरफेर किया गया था कि मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन से दिनांक 3/1/1990 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

वास्तव में कीरानूर न्यायालय के प्रदर्श पी.1 और प्रदर्श पी.9 पर मिली मुहर की तारीख से पता चलता है कि वह तारीख 5/1/1990 थी। इन विसंगतियो को देखते हुये, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के फैसले मे ऐसी कोई खामी नहीं है जिसके लिये किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

4. अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

बी.बी.बी.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।